न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं0 : 26/2019

1. दारासिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी मलसीसर।
2. ईश्वरलाल पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी मलसीसर।
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर जरिऐ शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : वादी
वकील श्री रोहताश शर्मा : प्रतिवादी सं0 1 व 2

निर्णय **दिनांक : 27.2.19**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 134/138 के खसरा सं0 21/1 की 2.2510 है0, खसरा सं0 224/3 की 0.999 है0, खसरा सं0 568 की 4.5530 है0 कुल 3 खसरा की 7.803 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है।

वदी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 हिन्दु है एवं हिन्दु विधि विधान से शासित होते है वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की सहदायिकी दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 का जन्म से हक व हिस्सा है लेकिन वाद भूमि कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम से दर्ज है। इस प्रकार वादगत भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज होने से वादी व प्रतिवादी सं0 2 के हितों पर विपरित प्रभाव पड़ता है।

चूंकि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 139/140 के खसरा सं0 518/765 की 1.264 है0 कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 2 कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है इसलिए दावा की मद सं0 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतापसिंह के हिस्सा में कम कृषि भूमि आई है।

वाद पेश होने के उपरान्त प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल की ओर से जबाबदावा पेश किया गया व प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी दारासिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मलसीसर खाता सं0 134/138 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम मलसीसर सम्वत् 2051 प्रदर्श 2,

हल्फनामा प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मलसीसर खाता सं0 139/140 सम्वत् 2071–74 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी कथन किया कि वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। लेकिन वाद भूमि कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम से दर्ज है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम मलसीसर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की सहदायिकी दादालाई कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम मलसीसर सम्वत् 2051 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा हेतराम वल्द सोहना के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में प्रतापसिंह के वारिसान में दो पुत्र ईश्वरलाल व दारासिंह होना अंकित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है व मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी सं0 1 के नाम से रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 139/140 के खसरा सं0 518/765 की 1.264 है0 कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है उक्त कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 2 कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है इसलिए दावा की मद सं0 2 में वर्णित खाता सं0 134/138 की कृषि भूमि में प्रतापसिंह के हिस्सा में कम कृषि भूमि आई है व पक्षकार मुताबिक दावा डिक्री करवाने पर सहमत है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 134/138 के खसरा सं0 21/1 की 2.2510 है0, खसरा सं0 224/3 की 0.999 है0, खसरा सं0 568 की 4.5530 है0 कुल 3 खसरा की 7.803 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है में मुताबिक राजीनामा वादी दारासिंह 2.783 है0 एवं प्रतिवादी ईश्वरलाल 2.783 है0 एवं प्रतिवादी प्रतापसिंह 2.237 है0 कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही वादी दारासिंह के नाम 2.783 है0, प्रतिवादी ईश्वरलाल के नाम 2.783 है0 एवं प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम 2.237 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारीं हो।

निर्णय आज दिनांक 27.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं0 : 26/2019

1. दारासिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी मलसीसर।
2. ईश्वरलाल पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी मलसीसर।
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर जरिऐ शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री प्रभुराम गोदारा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 134/138 के खसरा सं0 21/1 की 2.2510 है0, खसरा सं0 224/3 की 0.999 है0, खसरा सं0 568 की 4.5530 है0 कुल 3 खसरा की 7.803 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है में मुताबिक राजीनामा वादी दारासिंह 2.783 है0 एवं प्रतिवादी ईश्वरलाल 2.783 है0 एवं प्रतिवादी प्रतापसिंह 2.237 है0 कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही वादी दारासिंह के नाम 2.783 है0, प्रतिवादी ईश्वरलाल के नाम 2.783 है0 एवं प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम 2.237 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.2.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़